

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना


दिनांक 12-05-2014

कमांक एफ 10-9/2013/16 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की अधिसूचना कमांक F10-09/2013/16, रायपुर दिनांक 10.09.2013 में असंगठित कर्मकारों के लिए "मुख्यमंत्री कोटवार सायकल एवं टार्च सहायता योजना" में निम्नांकित संशोधन अंतःस्थापित करती है:-

(व) योजना हेतु पात्रता :-

(ii) "पंजीकृत असंगठित कर्मकार कोटवार वर्ग की आयु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक की हो।"

उपरोक्त अधिसूचना, अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी।



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी0आर0मालवीय)

उप सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
रायपुर, दिनांक 12.05.2014

पृ0क0 एफ 10-09/2013/16
प्रतिलिपि :-

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
- 2 अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
- 3 प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
- 4 सचिव सह श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
- 5 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
- 6 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
- 7 कलेक्टर, जिला (छ0ग0)
- 8 सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0),
- 9 प्रभारी अधिकारी, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, रायपुर

//2//

10. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी.....छ0ग0,
11. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा..... छ0ग0,
12. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगाँव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग